

04.08.25

पत्रावली वैश ^{३०} दुई । वकील गर्धी उपस्थित ।
गर्धी का मूल वाद इसी स्तर पर खारिज किया जा
चुका है । अतः यह प्रपत्र औचित्यहीन होने के
कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है । पत्रावली
बाद तुरंत तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय लिखाया जाकर छुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(सुनील कुमार चौधरी)
R.A.S.